भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-226/2019-20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
18.02.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 25.03.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 25.03.2020 को उपस्थापित करें। 18.2.20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
25.03.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। Covid-19 के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी अगली तिथि 24.06.2020 को रखें। अभिलेख 24.06.2020 को उपस्थापित करें। 25.3.20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
24.06.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 04.07.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 04.07.2020 को उपस्थापित करें। 24.6.20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
	आदेश	
04.07.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक-**328**, दिनांक-**27.06.2020** द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक-**01.07.2020** को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **रूद्र महतो**, पिता-**स्व0 हरी महतो**, जाति-**कुर्मी (अ.पि.वर्ग)**, ग्राम-**धातकीडीह, वार्ड नं0-19 चक्रधरपुर**, पो0+थाना-**चक्रधरपुर**, जिला-**प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोमिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि मौजा-**चक्रधरपुर नगरपालिका वार्ड नं0-15**, थाना नं0-**68**, खाता नं०-**208**, खेसरा नं0-**347**, रकवा-**0.10** ए0 भूमि क्रेता **उषा महतो**, पिता-**कालीचरण महतो**, जाति-**कुर्मी (अ.पि.वर्ग)**, ग्राम-**दुधकुंडी**, पो0-**चैनपुर**, थाना-**चक्रधरपुर**, जिला-**प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर अपने जाँच प्रतिवेदन में क्रेता **उषा महतो** को निवासी-**दुधकुंडी**, पो0-**चैनपुर**, थाना-**चक्रधरपुर**, जिला-**प0 सिंहभूम** का निवासी बताया है। क्रेता **उषा महतो** का शादी **सरायकेला-खरसावाँ** जिला में हुआ है। CNT Act के प्रावधानानुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति को भूमि क्रय बिक्रय करने हेतु एक जिला का निवासी होना चाहिए। इस वाद में बिक्रेता प0 सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं क्रेता सरायकेला-खरसावाँ जिला के निवासी हैं। CNT Act के प्रावधानानुसार आवेदक के आवेदन पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। 4.7.20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	